



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072025-264614
CG-DL-E-14072025-264614

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3053]
No. 3053]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

का.आ. 3123(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33) के मोकामा से मुंगेर खंड तक डिजाइन चेनेज फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 0.000 किमी से 81.000 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मोकामा से मुंगेर सेक्शन तक फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, एनएच-80 (पुराना एनएच-33) के किलोमीटर 0+000 (मोकामा बाईपास) से किलोमीटर 81+000 (चाननपुरा, मुंगेर) तक डिजाइन चेनेज विहार राज्य में।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भूअर्जन पदाधिकारी पटना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी 0 से कि.मी 8.4 तक	बिहार	पटना	घोसवरी मोकामा	1 घोसवरी (40) 1 चिंता मंचक (29)
2	जिला भूअर्जन पदाधिकारी लखीसराय	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी 8.4 से कि.मी 66.3 तक	बिहार	लखीसराय	बरहिया सूरजगढ़ा लखीसराय	1 सरमा (166) 1 बिशुनपुर (86) 2 चन्दनपुरा (161/1) 3 अलीनगर (158) 1 दामोदरपुर (91) 2 नेरी (120) 3 अलापुर (158)
3	जिला भूअर्जन पदाधिकारी मुंगेर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी 66.3 से कि.मी 81 तक	बिहार	मुंगेर	जमालपुर धरहरा	1 गौरीपुर (432) 2 बिन्दवारा आराजी (206) 3 महदीपुर (05) 1 जगतपुर (356)

[फा. सं12010/NHAI/PIU-Munger/MOK-MUG/LA.]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2025

S.O. 3123(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for Four Lane Greenfield Expressway from Mokama to Munger Section, design Chainages from Km. 0+000 (Mokama Bypass) to Km. 81+000 (Chananpura, Munger), of NH-33 (Old NH-80) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of BIHAR

SCHEDULE

Land acquisition for "Construction of Four Lane Greenfield Expressway from Mokama to Munger Section, design Chainages from Km. 0+000 (Mokama Bypass) to Km. 81+000 (Chananpura, Munger), of NH-80 (New NH-33) in the State of BIHAR.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	DLAO PATNA	NH80 KM 0 TO KM 8.4	BIHAR	PATNA	Ghoswari	1	Ghoswari (40)
					Mokama	1	Chinta Manchak (29)
2	DLAO LAKHISARAI	NH80 KM 8.4 TO KM 66.3	BIHAR	LAKHISARAI	Barahiya	1	Sarma (166)
					Surajgarha	1	Bishunpur (86)
						2	Chandanpura (161/1)
						3	Alinagar (158)
					Lakhisarai	1	Damodarpur (91)
						2	Neri (120)
						3	Alapur (158)
3	DLAO MUNGER	NH80 KM 66.3 TO KM 81	BIHAR	MUNGER	Jamalpur	1	Gauripur (432)
						2	Bindwara Arazi (206)
						3	Mahadipur (05)
					Dharhara	1	Jagatpur (356)

[F. No. 12010/NHAI/PIU-Munger/MOK-MUG/LA]

SHAIKH AMINKHAN, Director